AN ISO - 9001: 2015
& ISPS COMPLIANT PORT

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
COCHIN PORT TRUST
यातायात विभाग
TRAFFIC DEPARTMENT
Willingdon Island, Cochin – 682 009
Phone: +91 (484) 2582200
Fax: +91 (484) 2666418
e-mail: tm@cochinport.gov.in
www.cochinport.gov.in

SAGARMALA
PORT-LED PROSPERITY

ए1/233/2020-टी

27th अप्रैल 2020

व्यापार सूचना संख्या1/2020

विषय: महामारी कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन उपायों पर पोर्ट शुल्कों की छूट।

1. कोवीड19- महामारी और लॉकडाउन के उपायों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित लॉजिस्टिक श्रृंखला को समर्थन और इसके पुनर्निर्माण के लिए, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों, बंदरगाह संचालकों, शिपिंग लाइनों, ट्रांसपोर्टरों आदि सहित लॉजिस्टिक चेन संबंधी व्यापार को कुछ राहत देने का निर्णय लिया है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पत्रांक पीडी-14033/4/2020-पीडी VII दि. 21.04.2020 द्वारा लॉकडाउन की अवधि के दौरान यानि 22 मार्च से 3 मई 2020 तक पोर्ट उपयोगकर्ताओं पर लगाए गए प्रभारों पर छूट प्रदान करने का निर्देश दिया है।
3. तदनुसार, संदर्भाधीन अपने आदेश में मंत्रालय द्वारा यथा निर्देशित कोचीन पोर्ट बंदरगाह शुल्क में राहत प्रदान करेगा, मेसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा. लिमिटेड (आईजीटीपीएल) ने भी व्यापार को ऐसे लाभ देने की सहमति व्यक्त की है और इस संदर्भ में दि.23.04.2020 को व्यापार सूचना संख्या 93 जारी किया है।
4. व्यापार बिरादरी के सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे मंत्रालय के आदेश में विनिर्दिष्ट नियमों का पालन करें, ताकि मंत्रालय द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके, जिसमें निर्धारित समय के मध्य विशिष्ट अनुरोध प्रस्तुत करना शामिल है।
5. व्यापार बिरादरी को एतद्वारा अपने सह उपयोगकर्ताओं को लाभ प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
6. विनिर्दिष्ट छूट/स्थगन केवल पोर्ट संबंधित गतिविधियों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए लागू होंगे।
7. यह आदेश किसी भी कैप्टिव उपयोगकर्ता, केंद्र या राज्य सरकार की संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, सीपीएसई पर लागू न होगा।
8. पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, कोचिन पोर्ट द्वारा दी गई राहत निम्नवत हैं:

आगे/-2

ए.पोर्ट उपयोगकर्ताओं के लिए

क्र.सं.	मद शीर्ष	लाभ	लाभार्थी	शर्तें
i.	भण्डारण प्रभार	लॉकडाउन अवधि के लिए सभी पोर्ट उपयोगकर्ताओं को निशुल्क भण्डारण समय।	सीमाशुल्क हाउस ब्रोकरों, स्टीवेडरों आदि सहित आयातकों, निर्यातकों या उनकी ओर से काम करने वाले एजेंटों। जहाज़ों से निपटान किए गए बल्क एवं ब्रेक बल्क कार्गो एवं एरणाकुलम व मट्टांचेरी वार्फों के अनुबद्ध क्षेत्र के मुक्त एवं आवृत्त क्षेत्र एवं पांच भण्डारगृह जैसे कि डब्ल्यूएच1, डब्ल्यूएच2, डब्ल्यूएच3, डब्ल्यूएच4 एवं अनुबद्ध क्षेत्र के बाहर डब्ल्यूएच6 एवं कंटेनर कार्गो के लिए भण्डारण प्रभार, पोर्ट सीएफएस, आदि पर व्यक्तिगत प्रभाव, एवं भण्डार शुल्क की छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।	केवल साप्ताहिक/ मासिक लाइसेंस के आधार पर पोर्ट द्वारा आवंटित स्थानों में संग्रहीत आयात-निर्यात कार्गो पर लागू। केवल लॉकडाउन की अवधि के लिए लागू।
ii.	लीज भाड़ा, लाइसेंस शुल्क संबंधी प्रभार	बिना किसी ब्याज के प्रो-राटा के आधार पर अप्रैल, मई और जून 2020 की वार्षिक लीज भाड़ा/ लाइसेंस शुल्क का स्थगन	वार्षिक आधार पर लीज व लाइसेंस आवंटित क्षेत्र कार्गो भंडारण के लिए यातायात प्रबंधक द्वारा लाइसेंस के आधार पर अनुबद्ध क्षेत्र के बाहर आवंटित किए गए गोदामों के लिए भंडारण शुल्क तीन महीने के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान से भी छूट दी जाएगी।	पोर्ट द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्राप्त की जाने वाली वार्षिक लीज भाड़ा/लाइसेंस शुल्क के लिए ही लागू। विशिष्ट अनुरोध करने के लिए पट्टाधारी/लाइसेंसधारी। केवल अप्रैल, मई और जून 2020 माह के लिए लागू।
iii.	अन्य प्रभार, जुर्माना	जुर्माना प्रभार,विलम्बन, अवरोधन प्रभार, प्रवास समय प्रभार, आंकरेज प्रभार, बर्थ किराया जुर्माना प्रभार, निष्पादन संबंधी जुर्माना आदि नहीं लगाया जायेगा।	व्यापारी, आयातक, निर्यातक, शिपिंगलाइनें, रियायतग्राही, लाइसेंसधारी , सीएफएस, आदि। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी) में आनेवाले कंटेनर लाईनों(सेवा व जहाज़) को लॉकडाउन अवधि के दौरान 30 दिन की वसूली अवधि (कुल 73 दिन, 22.03.2020 से 02.06.2020 तक) छूट का लाभ उठाने हेतु पात्रता के लिए क्यूसी या एमजीटी या दोनों को पूरा करने पर विनिर्दिष्ट अधिकतम छूट की अनुमति दी जाएगी।	लॉकडाउन अवधि के साथ-साथ 30 दिनों की वसूली अवधि यानि 22 मार्च 2020 से 2 जून 2020 तक कार्गो के आगमन/निकास या लदाई/उतराई परिचालन व बर्थिंग में विलंब पर लागू।
			सीमेंट टर्मिनलों को 'निष्पादन मानदंड आधारित प्रोत्साहन व जुर्माना योजना'के तहत यथा अपेक्षित बर्थ के जुर्माना किराया प्रभार से छूट दी जाएगी। इन सीमेंट टर्मिनलों की न्यूनतम गारंटी थ्रुपुट (एमजीटी) लॉकडाउन अवधि और 30 दिनों की वसूली अवधि के लिए भी आनुपातिक रूप से कम किया जाना चाहिए।	पिछले वर्षों में निरंतर गैर निष्पादन करने वाले फार्मों को एमजीटी की छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

आगे/- 3

बी.पीपीपी रियायतग्राहियों के लिए

क्र. सं.	मद शीर्ष	लाभ	लाभार्थी	शर्तें
i.	राजस्व हिस्सा, रॉयल्टी और उपकरण भाड़ा संबंधी प्रभार	रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किए जाने पर राजस्व हिस्सेदारी, रायल्टी और बिना किसी ब्याज के अप्रैल, मई और जून 2020 से उपकरण भाड़ा संबंधी प्रभार का आस्थगन।	पीपीपी परिचालित बर्थ/टर्मिनल्स	उक्त राशियों को रियायतग्राही द्वारा तीन महीने की ब्याज मुक्त अवधि के पश्चात (महीने के हिसाब से प्रति माह, यानी अप्रैल 2020 में लगने वाले शुल्क का भुगतान अगस्त 2020 में किया जाएगा) रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट अनुरोध।
ii.	लीज भाड़ा, लाइसेंस शुल्क संबंधी प्रभार	पिछले कैलेंडर वर्ष यानि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक कार्गो मात्रा की मासिक औसत तुलना में, उतारे गए कार्गो के अधिकतम मात्रा के लिए तीन महीने के लिए (अप्रैल, मई और जून 2020) लीज भाड़ा/लाइसेंस शुल्क व इसी तरह के शुल्क की छूट।	पीपीपी परिचालित बर्थ/टर्मिनल्स	रियायतग्राही द्वारा पोर्ट को पहले से भुगतान की गई राशि को आगामी भुगतानों में समायोजित किया जाएगा। अप्रैल, मई और जून 2020 तक ही लागू होगा।
iii.	प्रदर्शन मानक संबंधित दायित्वों	भण्डार रसीद संचालन की सुपूर्दगी, गैर-ट्रांसशिपमेंट आवश्यकताओं के लिए सकल बर्थ आउटपुट, पारगमन भंडारण समय, टर्नअराउंड समय जैसे किसी भी प्रदर्शन मानकों में किसी भी कमी के लिए जुर्माना या शुल्क नहीं लगाया जाएगा।	पीपीपी परिचालित बर्थ/टर्मिनल्स	30 दिनों की वसूली अवधि यानि 22.03.2020 से 02.06.2020 दो समावेशी दिनों के साथ लॉकडाउन अवधि के लिए लागू।

सी. शिपिंग लाईनों के लिए

क्र.सं.	मद शीर्ष	लाभ	लाभार्थी	शर्तें
i.	शिपिंग लाईनों से जहाज़ संबंधी प्रभार	भारतीय तटीय जहाजों को समुद्री देय/जहाज़ संबंधी शुल्कों के आस्थगन ब्याज मुक्त 60 दिन'	भारतीय तटीय जहाज़	तटीय जहाज़ परिचालकों को प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने होंगें। केवल 30 मई 2020 तक प्राप्त अनुरोध के आस्थगन पर विचार किया जाएगा।

9. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

20/04/2020

यातायात प्रबंधक
कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

सेवा में,

- इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, कोचिन
- कोचिन स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन, कोचिन
- कोचिन कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, कोचिन
- कोचिन पोर्ट लीज होल्डर्स एसोसिएशन, कोचिन

कृपया इस जानकारी को अपने सभी ग्राहकों के साथ व्यापार निकायों/ एसोसिएशन, व्यक्तिगत आयातकों-निर्यातकों, व्यापारिक सहयोगियों, सेवा प्रदाताओं, आदि के साथ साझा करने के अनुरोध के साथ

सदय सूचनार्थ प्रति:

अध्यक्ष/उप संरक्षक/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/उपाध्यक्ष/सचिव/मुख्य अभियंता/मुख्य यांत्रिक अभियंता/वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक(ईएण्डओ)/सहायक यातायात प्रबंधक(सीएफएस), कोचिन पोर्ट
वरिष्ठ उप निदेशकपोर्ट के कार्यालयीन वेबसाइट में व्यापार सूचना को होस्ट करने हेतु (ईडीपी)
हिन्दी अधिकारीव्यापार सूचना के हिन्दी अनुवाद हेतु। -